# उत्तर प्रदेश सरकार

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2

संख्या-848/चालीस-2–20(19)-90

लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल, 1991

विज्ञप्ति

उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 के नियम-6 "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रखे जाने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

| वर्तमान नियम | संशोधित नियम |
|---|---|
| "पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल एक हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय" | "पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रुपया या उस से कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय"। |

2––उपर्युक्त संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
हर्ष सनवाल,
सचिव।

---

संख्या-848 (1)/चालीस–2–20(19)-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ उप मंत्रीगण के निजी सचिव।
(5) निदेशक, दूर दर्शन केन्द्र, लखनऊ, आकाशवाणी, लखनऊ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1।

आज्ञा से,
देवी शरण टंडन,
अनु सचिव।

---

संख्या-848 (2)/चालीस–2–20(19)-90

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2––गजट में प्रकाशन के पश्चात् विज्ञप्ति की 200 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2, उ0प्र0 सचिवालय को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
देवी शरण टंडन,
अनु सचिव।